

कार्यालय : प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

फोन नं०-05463-235020, फैक्स नं०-05463-235194,
वेबसाइट-www.gmcazamgarh@gmail.com

पत्रांक-1644/रा०मे०का०आ०/नर्सिंग प्रशि०/2023


दिनांक-19/01/2023

:::सूचना:::

एतद्द्वारा समस्त प्रबन्धक/सह-प्रबन्धक/प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य/संचालक, निजी नर्सिंग कालेज, आजमगढ़ को सूचित किया जाता है कि मा० संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन के कार्यालय आदेश संख्या-678/71-4-2022, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ, दिनांक-16/11/2022 एवं मा० विशेष सचिव उ०प्र० शासन के कार्यालय आदेश संख्या-I/235090/2022/71-4099/1019/2022, दिनांक-14/11/2022 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में 30 किमी० परिधि के अंतर्गत निजी क्षेत्र में विभिन्न नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में बी०एस०सी० नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में क्लिनिकल प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा रहा है।

अतः इच्छुक निजी क्षेत्र के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान संलग्न निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना अंकित कर उक्त प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर सकते हैं। संबंधित प्रशिक्षण हेतु समस्त दिशा-निर्देश/शर्तें उल्लिखित शासनादेश अनुसार लागू होंगी।

संलग्नक-यथानुसार।


डा० राजीव गौतम (आचार्य)
को-आर्डिनेटर, नर्सिंग प्रशिक्षण,
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़।


पत्रांक- /रा०मे०का०आ०/नर्सिंग प्रशि०/2023, तद्दिनांक.....।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01-प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

02-चिकित्सा अधीक्षक/सहायक चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

03-प्रधानाचार्या/उप-प्रधानाचार्या, बी०एस०सी० नर्सिंग, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।


डा० राजीव गौतम (आचार्य)
को-आर्डिनेटर, नर्सिंग प्रशिक्षण,
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़।

७८

Short Term Nursing Student's Training List

S. No.	Name of Institution	Course (B.Sc./PBB.Sc./M.Sc)	Date of Short Term Training	Period		No. of Students		Fee Rs 2000/- for (B.Sc./PBB.Sc.) Rs 3000/- for M.Sc	Distance from Medical College	Remark
				From	to	Boys	Girls			

Signature with Seal
Head of Institution/Principal

Note :- 30 Km Radius from the College to the Govt. Medical College where the Clinical Training is to be conducted.